पत्रांक– R/F-04/नियोजन–01/2018 (ग०को०) ....

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

आर०के०महाजन,
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।

सेवा में,

सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)।

पटना, दिनांक ....

विषय:– **नियोजित शिक्षकों के निगरानी विभाग द्वारा शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच से संबंधित समीक्षा बैठक के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **CWJC No.-15459/2014** रंजीत पंडित एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के आदेश के आलोक में नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच निगरानी जाँच सं०–बी.एस.–8/15 के अन्तर्गत की जा रही है।

उक्त जांच के क्रम में निगरानी विभाग द्वारा जांच के दायरे में आये फोल्डर की प्राप्ति की जा रही है, एवं बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्रमाण–पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है।

निगरानी नोडल पदाधिकारी को फोल्डर प्राप्ति की स्थिति में सुधार, निगरानी द्वारा फर्जी अमान्य प्रमाण पत्रों के अधार पर दर्ज FIR के संबंध में पूर्ण जानकारी रखने एवं FIR के अधार पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) एवं जिला के नोडल पदाधिकारियों को पूर्व की बैठक में निदेश दिया गया था।

इसकी समीक्षा हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सभी जिलों के निगरानी नोडल पदाधिकारी, सचिव बिहार विद्यालय शिक्षा समिति, बिहार संकृत शिक्षा बोर्ड, बिहार मदरसा बोर्ड, सभी विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक की बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 01.08.2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न **मदन मोहन झा, स्मृति समागार शिक्षा विभाग में** आहूत की गई है तदनुरूप वांछित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र 1 एवं 2 के साथ बैठक में भाग लेना चाहेंगे।

दिनांक 01.08.2019 के निर्धारित बैठक में शामिल होने के पूर्व प्रत्येक जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) निगरानी विभाग के जिला हेतु नामित नोडल पदाधिकारीयों द्वारा निगरानी जाँच से संबंधित सभी आकड़े यथा जाँच के दायरे में आनेवाले शिक्षक संख्या, प्राप्त फोल्डर संख्या या अन्य अभिलेख नहीं देने कारण नियोजन इकाई पर दर्ज प्राथमिकी की संख्या, प्रमाण–पत्र फर्जी पाये जाने पर निगरानी द्वारा दर्ज प्राथमिकी की संख्या, प्राथमिकी के अधार पर शिक्षक की विरूद्ध कारवाई की स्थिति इत्यादि के संबंध में एक बैठक कर जिले की वास्तविक स्थिति से अवगत हो लेगें ताकि राज्य स्तरीय बैठक में जिले के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सके। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) राज्य स्तरीय बैठक के चार दिन पूर्व संबंधित प्रतिवेदन प्रेषित कर देगें।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(आर० के० महाजन)
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक– R/F-04/नियोजन–01/2018 (ग०को०)..................... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:– अपर महानिदेशक निगरानी/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरों को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि निर्धारित वैठक में भाग लेना चाहेंगे, एवं जिला स्तर पर प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी (निरीक्षक) को उक्त बैठक में संबंधित अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहने का निदेश अपने स्तर से देना चाहेंगे।

ह०/–
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक– R/F-04/नियोजन–01/2018 (ग०को०) पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:– सचिव बिहार विद्यालय शिक्षा समिति/बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार /मदरसा बोर्ड, बिहार/सभी विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक– R/F-04/नियोजन–01/2018 (ग०को०) .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव /संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक– R/F-04/नियोजन–01/2018 (ग०को०) .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक– R/F-04/नियोजन–01/2018 (ग०को०) .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, जनशिक्षा से आदेश दिया जाता है कि दिनांक–01.08.2019 को डॉ0 मदन मोहन झा, सभागार शिक्षा विभाग में 11:00 बजे पूर्वा0 से आरक्षित किया जाय।

ह०/–
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक– R/F-04/नियोजन–01/2018 (ग०को०) .... पटना, दिनांक..................................../

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यालय कर्मियों (लगभग 175) के लिए लंच, चाय एवं पानी की व्यवस्था करेंगे।

ह०/–
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक– R/F-04/नियोजन–01/2018 (ग०को०) 13......... पटना, दिनांक 17-07-19

प्रतिलिपिः– आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16/7/19
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।